P&Q

हिन्दुस्तान

P&Q

Tue, 30 Sep 2025; daily - Hindustan - Noida;
Size: 84.4 sq. cm.; Circulation: ; Page: 25

डीएनडी डेवलपर से 100 करोड़ रुपये लेने पर रोक

नई दिल्ली/नोएडा, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी मांग पत्र के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इसमें डीएनडी फ्लाईवे के डेवलपर नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड से कथित विज्ञापन लाइसेंस शुल्क के रूप में 100 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।

- **दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मांगा जवाब**

अदालत ने 25 सितंबर के अपने आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार है और सुविधा का संतुलन याचिकाकर्ता के पक्ष में है। यदि याचिकाकर्ता को अंतरिम आदेश नहीं दिए जाते हैं, तो इससे याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति हो सकती है, जिसकी भरपाई धन के रूप में नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने नोएडा प्राधिकरण के आउटडोर विज्ञापन विभाग द्वारा जारी पत्र पर अंतरिम रोक लगा दी। इसमें कथित तौर पर दिल्ली-नोएडा-दिल्ली (डीएनडी) फ्लाईवे पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रदर्शित विज्ञापनों को हटाने के लिए भी कहा गया था।